संख्या- 53 /2026/।/1284817/2026/तीस-3-2026- 1697185

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2026

विषय- जनपद बुलन्दशहर में निर्माणाधीन डिटेंशन/डम्पिंग यार्ड के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-506इन्फ/2026-10इन्फ/2023-।।, दिनांक 26 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2025 के कार्यवृत्त में वर्ष 2025-26 परिवहन विभाग : प्रस्तावित पूंजीगत परियोजनाएं की तालिका में मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य के क्रमांक-1 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार जनपद-बुलन्दशहर में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड के निर्माण हेतु द्वितीय/अवशेष किश्त के रूप में कालम-6 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन	अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकित / प्रशासकीय स्वीकृति हेतु अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	**द्वितीय/अवशेष किश्त के रूप में निर्गत हेतु अनुमोदित धनराशि**
1	2	3	4	5	6	**6**
1	जनपद बुलन्दशहर में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड का निर्माण	कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।	128.66	127.06	120.738	**6.322**
					कुल योग -	**6.322 लाख**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।
(6) कार्य की विशिष्टयॉ, मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
(7) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(8) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(9) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-5055-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-53/2026/I/1284817/2026(1)/तीस-3-2026-**1697185**, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-31, गाजियाबाद।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।